

झारखण्ड सरकार,
जल संसाधन विभाग।

आ. सं०— ०५ / विविध—१४—४४ / २०१४ :—

रॉची, दिनांक —

आदेश

श्री रविशंकर, संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची को जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो (Anti Corruption Bureau) के कार्य हेतु विभागीय नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

२. इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित किया जाता है।
३. उक्त पर प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची का आदेश प्राप्त है।

ह०/-

(रविशंकर)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक —

रॉची, दिनांक —

प्रतिलिपि— प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची / उप सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, रॉची / भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो, रॉची / अभियंता प्रमुख— १, एवं २ जल संसाधन विभाग, रॉची / सभी संयुक्त सचिव / संयुक्त सचिव, सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर / अपर निदेशक, भू— अर्जन एवं पुनर्वास, सुवर्णरेखा परियोजना आदित्यपुर, जमशेदपुर / उप समाहर्ता, राजस्व प्रमण्डल, रॉची / उप सचिव (प्र०) / उप सचिव, (अभि०) सभी अवर सचिव / सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग / सभी विशेष भू— अर्जन पदाधिकारी / सभी पुनर्वास पदाधिकारी / सभी प्रशास्त्र पदाधिकारी एवं सभी सहायक, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(रविशंकर)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक —

रॉची, दिनांक —

प्रतिलिपि— श्री रविशंकर, संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(रविशंकर)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक —

९५६

प्रतिलिपि— वेब  इन्फॉरमेशन मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।



(रविशंकर)

सरकार के संयुक्त सचिव।

